19/7/22

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई
पत्रावली में संलिप्त विवरण मामला
इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रा.पत्र
अन्तर्गत 212 RTA का तहत पेश
किया कि मौजा अटरूवापुरा की
आराजी नं. 342, 343 कुल किता
2 रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि पर स्थित
होकर प्रार्थी काबिज होकर काश्त
करता चला आ रहा है विपक्षीगण
प्रार्थी की आराजीयात पर निर्माण
करने का प्रयास कर प्रार्थी का
नुकसान पहुंचाने पर आमादा है
जिसका कि उन्हें कोई हक अधिकार
नहीं है इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण
को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से
पाबन्द कराये जाने का अधिकारी
है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया
जाकर विपक्षीगण को मु.वाद
के निस्तारण तक अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे
प्रकरण वाद ग्राम दर्ज रजिस्टर
किया जाकर वकील प्रार्थी की

13

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. पत्र पर इकबालिया कहन सुनने
के पश्चात दिनांक 7.4.2015 को
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई
तत्पश्चात अप्रार्थी की ओर से
अधिवक्ता S R मीणा ने जवाब प्रार्थना
पत्र के पेश किया जवाब जवाब
दावा पेश किया और जवाब अनुसार
अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया
जा रहा है वो पट्टाशुदा भूमि है
जिसकी राजस्थान नगर पालिका
अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही
विचाराधीन है तथा 50-60 वर्षों
से विपक्षी का कब्जा है इसलिए
विपक्षी ने प्रार्थी की खातेदारी
की भूमि पर कोई निर्माण कार्य
नहीं किया जा रहा है पूर्व निर्मित
किया हुआ है इसलिए विपक्षी का
प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का
का अधिकारी नहीं है अतः प्रा.पत्र
212 RTA का खारिज किया जावे।
पत्रावली के अवलोकन से दि. ~~26.6~~
26.5.2016 के आदेशानुसार हल्का पटवारी
से अधिवक्तागण वस्तु स्थिति की
मौके का रिपोर्ट मंगाने हेतु पर
सहमत [illegible]
प्रकरण, [illegible]
रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible]
दिनांक 8.7.2019 को पक्षी के विपक्षी
अनुपस्थित रहने के कारण एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:59 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की प्रा. पत्र पर एक पक्षीय
बहस सुनी गई पत्रावली का
अवलोकन किया जिससे जाहिर है कि
वादग्रस्त आराजी नं. 342, 343
प्रार्थी वादीगण के खातेदारी में दर्ज
रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी की
भूमि बाबत तहसीलदार कठियावटी से
मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई
जिसमें तहसीलदार कठियावटी द्वारा
स्पष्ट किया कि अप्रार्थी सुरेश s/o
मांगू मीणा द्वारा उपर्युक्त आराजी
नं. 342 पर दक्षिणी-पूर्वी भाग
पर आंशिक रूप से कब्जा किया
हुआ है जो प्रार्थी की आराजी में
अवैध कब्जा पाया हुआ है।
जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी
के पक्ष में बनता है प्रथम दृष्टया
प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनने से
अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का
संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है
इसलिए प्रार्थीगण का प्रा. पत्र
स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण
को जरिये मूल वाद के निस्तारण
तक पाबंद किया जाकर आदेश
दिया जाता है कि मौजा कल्याणपुरा
की ख.नं. 342 [illegible] संबंधित
भूमि में [illegible] किसी प्रकार का
दखल [illegible] न करावें
किसी भी प्रकार का प्रार्थीगण का
नुकसान नहीं पहुंचाया जावे
नियमानुसार इजराय सूचना जावे
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:59 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर